न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 03/2021(जी.सी.एम.एस. 2021/178)

अपीलांट	बनाम रेस्पोडेन्ट
1. भजनलाल पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. सरपंच, ग्राम पंचायत 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। 2. तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर। 3. इन्द्रो देवी पत्नी चेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. गुड्डी देवी पुत्री श्रीराम पत्नी प्रेमकुमार जाति मेघवाल निवासी चक निरवाणा जिला जिंद हरियाणा। 5. सचिन पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम- 1956

तारीख रजू:-06.10.2021

उपस्थितः 1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलांट

2. श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5

--निर्णय-- दिनांकः 12.07.2024

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 69/69 के मुरब्बा नम्बर 11, 34, 69/3, 69/14 की कुल 2.219 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 2066 के खाता संख्या 5/8 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 3.491 हैक्टेयर भूमि अपीलांट भजनलाल, उसके भाई चेतराम व माता ओमीदेवी के नाम बहिस्साबराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलांट के भाई चेतराम का देहान्त दिनांक 02.10.2004 को हो चुका है। उक्त खातों में उसके हिस्से की 1/3 भूमि उसके विधिक वारिसान अर्थात उसकी पत्नी इन्द्रा देवी, पुत्र सचिन व माता ओमी को बहिस्सा बराबर-बराबर प्राप्त हुई। ओमी देवी ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा की तमाम भूमि अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवके से एक वसीयत दिनांक 05.01.2010 को अपीलांट भजनलाल के पक्ष में निष्पादित करवाई। कालान्तर में दिनांक 14.02.2010 को ओमी पत्नी श्रीराम का भी देहान्त हो गया। ओमी के देहान्त के पश्चात उसके हिस्सा की तमाम कृषि भूमि वसीयत के आधार पर अपीलांट को प्राप्त हो चुकी है। तदानुसार ओमी देवी के नाम की उक्त भूमि अपीलांट के नाम विरास्तन दर्ज की जानी चाहिए थी, इस बाबत अपीलांट समस्त दस्तावेजात लेकर नामांतरण दर्ज करवाने बाबत पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का द्वारा कहा कि उक्त दोनों खातों के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय श्रीकरणपुर में इन्द्रा देवी बनाम भजनलाल आदि के नाम से वादपत्र संख्या 47/2008 व इसी अनवान का स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 31/2008 प्रस्तुत किया हुआ है और उसमें न्यायालय द्वारा उक्त खातों के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, इसलिए नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा आज से 14 दिन पूर्व उक्त खातों की जमाबिन्दयां प्राप्त की व उसका अवलोकन किया और पाया कि उक्त जमाबन्दियों में चेतराम की समस्त भूमि के बाबत विरास्तन केवल उसकी पत्नी, पुत्र के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि चेतराम की वारिस हमारी माता अर्थात ओमी भी थी। इसी प्रकार से ओमी के देहान्त होने के आधार पर उसके नाम की भूमि का भी बिना अपीलांट को सूचना दिये इन्द्रो आदि से मिलकर ओमी द्वारा अपनी भूमि के बाबत वसीयत की गई होने के बावजूद विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया हुआ था। उक्त जमाबन्दियों में उक्त इन्द्राज देखकर अपीलांट समस्त दस्तावेजात लेकर पटवारी हल्का से मिला और कहा कि आपने राजस्व न्यायालय का स्थगन होने के बावजूद नामान्तरण दर्ज कर दिया, आप इसे रद्द कर देवें। इस पर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहा। यही वाद कारण है। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील विरूद्ध नामान्तरण इन्तकाल संख्या 534 दिनांक 05.01.2021 ग्राम पंचायत 50 एफ रूपनगर अपास्त कर चेतराम के हिस्सा के बाबत दर्ज विरास्तन इन्द्राज जो केवल इन्द्रा देवी व सचिन के नाम दर्ज किया गया को अपास्त कर इसे इन्द्रा देवी, सचिन व ओमी के नाम दर्ज किये जाने के एंव ओमी के नाम दर्ज त्रुटि पूर्ण हिस्सा के विरास्तन इन्द्राज को अपास्त कर, चेतराम से विरास्तन प्राप्त भूमि सहित

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

ओमी के हिस्सा की भूमि का नामान्तरण ओमी के द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के निर्देश दिये जावें।

2- अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित आए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को भेजे गए पंजीकृत डाक नोटिस अदम तामील प्राप्त होने पर तलवी जरिए दैनिक अखबार प्रकाशन से करवाये जाने के आदेश दिए गए। अपीलांट अधिवक्ता के द्वारा अखबार की प्रति पेश की, जो सामिल मिसल है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा आपत्तियां पेश नहीं करने पर आपत्तियां बन्द की गई। ग्राम पंचायत 50 एफ रूपनगर से कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। सामिल मिसल की गई।

3- बहस अधिवक्तागण सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 69/69 की प्रति, चक 47 एफ के इन्तकाल सख्या 534 स्वीकृत दिनांक 05.01.2021 की प्रमाणित प्रति, वसीयतनामा दिनांक 05.01.2010 की छायाप्रति, प्रकरण संख्या 47/2008, अनवान इन्द्रो देवी बनाम भजनलाल आदि के निर्णय दिनांक 16.02.2012 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा चक 47 एफ के इन्तकाल संख्या 534 स्वीकृत दिनांक 05.01.2021 को खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया है। कार्यालय ग्राम पंचायत के इन्तकाल कार्यवाही रजिस्टर के मुताबिक चक 47 एफ के चेतराम पुत्र श्रीराम व ओमी पत्नी श्रीराम जाति मेघवंशी के फौत होने पर उनकी भूमि उनके वारिसान इन्द्रा देवी, सचिन, गुड्डी देवी, भजनलाल जाति मेघवंशी के नाम विरास्तन इन्तकाल संख्या 534 दर्ज करने का प्रस्ताव पेश हुआ है, जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया है। परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा ओमी पत्नी श्रीराम के द्वारा भजनलाल पुत्र श्रीराम के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 05.01.2010 की जांच न कर, सीधे वारिसान भजनलाल, गुड्डी देवी, इन्द्रो देवी, सचिन के नाम विरास्तन इन्तकाल संख्या 534 दर्ज कर दिया गया। लिहाजा विरास्तन इन्तकाल संख्या 534 दिनांक 05.01.2021 खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्ट विरूद्ध विरास्तन इन्तकाल संख्या 534 दिनांक 05.01.2021 भली-भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार की जाकर चक 47 एफ के इन्तकाल संख्या 534 दिनांक 05.01.2021 को खारिज किया जाकर पूर्व की स्थित बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते है, तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 69/69 के मुरब्बा नम्बर 11, 34, 69/3, 69/14 की कुल 2.219 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 2066 के खाता संख्या 5/8 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 3.491 हैक्टेयर भूमि के संबध में मृतक चेतराम पुत्र श्रीराम व मृतक ओमी पत्नी श्रीराम के विधिक वारिसान की जांच कर, वसीयत दिनांक 05.01.2010 को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत नामान्तरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2024/395 **दिनांक :- 12.07.2024**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 03/2021 अनवान भजन लाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 50 एफ रूपनगर अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट में पारित **निर्णय दिनांक 12.07.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2024 के अनुसार अपील अपीलान्ट विरूद्ध विरास्तन इन्तकाल संख्या 534 दिनांक 05.01.2021 भली-भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार की जाकर चक 47 एफ के इन्तकाल संख्या 534 दिनांक 05.01.2021 को खारिज किया जाकर पूर्व की स्थित बहाल किए जाने के आदेश दिए जाते है, तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 69/69 के मुरब्बा नम्बर 11, 34, 69/3, 69/14 की कुल 2.219 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2063 ता 2066 के खाता संख्या 5/8 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 3.491 हैक्टेयर भूमि के संबध में मृतक चेतराम पुत्र श्रीराम व मृतक ओमी पत्नी श्रीराम के विधिक वारिसान की जांच कर, वसीयत दिनांक 05.01.2010 को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत नामान्तरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर, श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)